

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
।। कार्यालय आदेश ।।

का० आ० सं०-5/श्रम स्था०-(2)-24/2008/ पटना, दिनांक-

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-4324, दिनांक-13.12.2024 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 (1) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903, दिनांक-29.12.2014 तथा महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पत्रांक-WCDC/1526/23, दिनांक-16.06.2023 के आलोक में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (सरकार पक्ष); बिहार, पटना (संलग्न कार्यालय/निदेशालय छोड़कर) में कार्यरत महिला कर्मियों के साथ कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवायी हेतु गठित आन्तरिक परिवाद समिति/शिकायत निवारण समिति के निम्न अध्यक्ष/सदस्य को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप पदनाम में बदलाव किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	पद	पूर्व से पदनाम	उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप पदनाम
1	श्रीमती कुमारी शिशिर भारती	अध्यक्ष	उप सचिव	संयुक्त सचिव
2	श्री सत्येन्द्र कुमार	सदस्य	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह०/-

(अशोक राम)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था०-(2)-24/2008/ पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि :-सदस्य, राजस्व पर्षद्-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, द्वितीय तल, इंदिरा भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, दारोगा राय पथ, रोड नं०-02, आर० ब्लॉक पटना/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

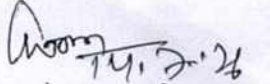
ह०/-

सरकार के उप सचिव

K

ज्ञापांक-5/श्रम स्था०-(2)-24/20081815...../ पटना-01, दिनांक-14-07-2024

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/उक्त सभी नामित पदाधिकारी/कर्मचारी/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव